दिनांक 13.06.2015 को सम्पन्न जिला CSR समिति, सरायकेला-खरसावाँ की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ	-	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ	-	सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक, सरायकेला-खरसावाँ	-	सदस्य
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ	-	सदस्य
5. जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ	-	सदस्य
6. कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला	-	सदस्य
7. द्विज प्रतिम सेन, PMRDF	-	आमंत्रित सदस्य
8. प्रतिनिधि Adhunik Alloys & Power Ltd.	-	सदस्य
9. प्रतिनिधि Ramkrishna Forgings Ltd.	-	सदस्य
10. प्रतिनिधि Rungta Mines Ltd.	-	सदस्य

यह जिला CSR समिति की पहली बैठक थी। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपना परिचय कराया। बैठक में दो नामित सदस्य क्रमशः Metalsa Ltd. एवं Usha Martin Ltd के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे।

बैठक कम्पनी अधिनियम, 2013 में वर्णित कम्पनियों के सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) संबंधित प्रावधानों एवं उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना संख्या 05/U.ni.(Mou)-23/2013/692 दिनांक 31.03.2015 के अन्तर्गत आयोजित की गई थी। उपायुक्त द्वारा श्री द्विज प्रतिम सेन, PMRDF को जिला में CSR कार्यों के समन्वयन का प्रभारी बनाया गया।

बैठक में उपस्थित सभी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि अगले बैठक से पहले गत तीन वर्षों का Annual Financial Statement जिला योजना कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें। ताकि कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135(5) में वर्णित प्रावधान के तहत जिला में स्थित कम्पनियों द्वारा CSR अन्तर्गत 2 प्रतिशत राशि के व्यय की समीक्षा की जा सके। जिला CSR समिति कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला के आवश्यकतानुसार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करेगी।

उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के उक्त अधिसूचना में वर्णित CSR अन्तर्गत होने वाले कार्यो की सूची पर चर्चा की गई। Ramkrishna Forgings Ltd. द्वारा मुड़िया, कोलाबीरा एवं सरायकेला स्थित उच्च विद्यालय, आर्चरी अकादमी, अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, खरसावाँ को CSR अन्तर्गत गोद लेने में आ रही कठिनाईयों के बारे में बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बाद में कोई अड़चन न आये इसके लिए कानूनी तौर पर जिला प्रशासन द्वारा कागजात उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि CSR की बैठक में उनके कठिनाईयों का निराकरण किया जायेगा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला में स्थित सभी बड़ी अद्यौगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को भी अगली बैठक में निमंत्रित किया जायेगा। सभी बड़ी अद्यौगिक इकाईयों को भी गत तीन वर्षों का Annual

Financial Statement समर्पित करने हेतु सूचित करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी विभिन्न सरकारी विद्यालयों को गोद लेकर चाहरदिवारी, बेंच तथा electrical wiring का कार्य शुरू कर सकते हैं।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला CSR समिति की बैठक प्रत्येक माह की 30 तारीख को आयोजित की जायेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19.06.2015	19/6/15	19/6/15	22/6/15
द्विज प्रतिम सेन, PMRDF	जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ।	उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ।	उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक....223..../जि0यो0, सरायकेला, दिनांक..23/06/2015

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/6

उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।